न्यायालय श्री नरेश कुमार मालव, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 110/2005

सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर।

प्रा

बनाम

1. माधोपुरी पुत्र श्री नाहरपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
2. भगवानपुरी पुत्र श्री गोस्पुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
3. सुण्डापुरी पुत्र श्री गजान्नदपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
4. बजरंगपुरी पुत्र श्री गजान्नदपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
5. रूपनारायणपुरी पुत्र श्री बद्रीपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
6. सत्यनारायणपुरी पुत्र श्री बद्रीपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
7. गंगापुरी पुत्र श्री बद्रीपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
8. प्रतापपुरी पुत्र श्री बद्रीपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
9. मदनपुरी पुत्र श्री बद्रीपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
10. लक्ष्मा पत्नी स्व0 श्री बद्रीपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
11. छीतरपुरी पुत्र श्री धौलपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
12. श्रवणपुरी पुत्र श्री भैरूपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी तहसील–फागी।
13. छोटूपुरी पुत्र श्री गणेशपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
14. बजरंगपुरी पुत्र श्री कालुपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
15. गणपतपुरी पुत्र श्री केतुपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।
16. लक्ष्मणपुरी पुत्र श्री केतुपुरी, जाति–गुसाई, निवासी–शंकरपुरी, तहसील–फागी।

अप्रार्थीगण

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 29.10.2018**

तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–शंकरपुरा की आराजी खसरा नं0 190 रकबा 08 बिस्वा, आ0ख0नं0 191 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह नारूपुरी व गौरूपुरी पि0 दुर्गापुरी, जाति–गुसाई 1/3 गजानन्द व धौलापुरी भैरूपुरी छोटूपुरी पि0 गणेशपुरी 1/3 कालूपुरी वल्द गणपतपुरी लक्ष्मणपुरी वल्द केतुपुरी जाति–गुसाई साकिन देहं 1/3 व हि0 बरायेखुदकाश्त मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में दर्ज थी जो [illegible] किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह ... खतौनी बन्दोबस्त

नारूपुरी व गौरूपुरी पि0 दुर्गापुरी, जाति–गुसाई 1/3 गजानन्द व धौलापुरी भैरूपुरी छोटूपुरी पि0 गणेशपुरी 1/3 कालूपुरी वल्द गणपतपुरी लक्ष्मणपुरी वल्द केतुपुरी जाति–गुसाई साकिन देह 1/3 व हि0 बराबर साकिन देह खुदकाश्त के बजाय वर्तमान में माधोपुरी वगैराह अप्रार्थी के नाम दर्ज हो गई जो पुनः माफी मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह नारूपुरी व गौरूपुरी पि0 दुर्गापुरी, जाति–गुसाई 1/3 गजानन्द व धौलापुरी भैरूपुरी छोटूपुरी पि0 गणेशपुरी 1/3कालूपुरी वल्द गणपतपुरी लक्ष्मणपुरी वल्द केतुपुरी जाति–गुसाई साकिन देह 1/3 व हि0 बराबर खुद–काश्त के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी के फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कायमी–मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया। नोटिस जारी किये गये बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह नारूपुरी व गौरूपुरी पि0 दुर्गापुरी, जाति–गुसाई 1/3 गजानन्द व धौलापुरी भैरूपुरी छोटूपुरी पि0 गणेशपुरी 1/3 कालूपुरी वल्द गणपतपुरी लक्ष्मणपुरी वल्द केतुपुरी जाति–गुसाई साकिन देह 1/3 व हि0 बराबर व कॉलम सं0 05 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में खुद–काश्त दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थी माधोपुरी पुत्र नारूपुरी भगवानपुरी पुत्र गौरूपुरी हि0 1/3 सूण्डापुरी बजरंगपुरी पि0 गजानन्दपुरी व रूपनारायणपुरी, सत्यनारायणपुरी, गंगापुरी प्रतापपुरी मदनपुरी पि. बद्रीपुरी व लछमा विधवा बद्रीपुरी छीतरपुरी पि. धौलापुरी चौथपुरी, श्रवणपुरी पि. भैरूपुरी व छोटूपुरी पि0 गणेशपुरी 1/3 बजरंगपुरी पुत्र कालूपुरी व गणपतपुरी लक्ष्मणपुरी वल्द केतुपुरी हि0 1/3 जाति–गुसाई साकिन देह के नाम मूर्ति मन्दिर जोकि शाश्वत नाबालिग है, की आराजी हस्तानान्तरित कर दी गई हैं जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से का[illegible]रस्त हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह [illegible]स्त के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त [illegible] (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि

खुद–काश्त के नाम दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाबिज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह नारूपुरी व गौरूपुरी पि0 दुर्गापुरी, जाति–गुसाई 1/3 गजानन्द व धौलापुरी भैरूपुरी छोटूपुरी पि0 गणेशपुरी 1/3 कालूपुरी वल्द गणपतपुरी लक्ष्मणपुरी वल्द केतुपुरी जाति–गुसाई साकिन देह 1/3 व हि0 बराबर खुदकाश्त की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री महादेव जी खुद–काश्त दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज– काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री महादेव जी खुद–काश्त की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में निजी खातेदारी माधोपुरी वगैराह अप्रार्थी के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, बिना किसी वैध आदेश के व अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री महादेव जी साकिन देह खुद–काश्त के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 18.12.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/10/18

(नरेश कुमार मालव)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

सत्य प्रतिलिपि